न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 93/2019

एडवोकेट कामरेड सुभाष जिला न्यायालय नारनौल, हरियाणा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 04.07.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.06.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 93/2019 पर दिनांक 10.06.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/785–86 दिनांक 11.06.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक 2018 दिनांक 01.07.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय को दिनांक 25.03.2019 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र में संलग्न पोस्टल ऑर्डर नम्बर 91 जी 579083 लिखा हुआ था परन्तु पोस्टल ऑर्डर संलग्न नहीं था। आवेदन पत्र में जहां पोस्टल ऑर्डर नम्बर अंकित किये गये उसको गोल राउण्ड कर दिनांक सहीत हस्ताक्षर किये हुये है आई पी ओ के साथ नहीं है, अंकित किया हुआ है। जिस पर कार्यालय के पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय/सू.अ./2019/91 दिनांक 27.03.2019 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया कि निर्धारित आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के संलग्न नहीं होने के कारण आपका आवेदन खारिज किया जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने वांछित सूचना नहीं मिलना जाहिर किया तथा सूचना दिलवाई जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय को दिनांक 25.03.2019 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र में संलग्न पोस्टल ऑर्डर नम्बर 91 जी 579083 लिखा हुआ था परन्तु पोस्टल ऑर्डर संलग्न नहीं था। आवेदन पत्र में जहां पोस्टल ऑर्डर नम्बर अंकित किये गये उसको गोल राउण्ड कर दिनांक सहीत हस्ताक्षर किये हुये है आई पी ओ के साथ नहीं है, अंकित किया हुआ है। जिस पर कार्यालय के पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय/सू.अ./2019/91 दिनांक 27.03.2019 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया कि निर्धारित आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के संलग्न नहीं होने के कारण आपका आवेदन खारिज किया जाता है। अपीलार्थी निर्धारित शुल्क जमा करवा कर वांछित

जिला कलेक्टर झुन्झुनू
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)

सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 04.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू